निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 श्रावण 1939 (श0)
(सं0 पटना 729) पटना, मंगलवार, 22 अगस्त 2017

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
22 अगस्त 2017
अधिसूचना सं0–21/2017– राज्य कर (दर)

एस० ओ० 133, दिनांक 22 अगस्त 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम–12) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार–राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना सं0–12/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम सं. 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“9क	**अध्याय 99**	**फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एशोसिएशन (एफआईएफए) और इसके सब्सिडियरी के द्वारा और इनको प्रदान की गई सेवाएं जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017, जोकि भारत में होना है, की किसी भी घटना से संबंधित हो।**	**शून्य**	**बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा और खेल मंत्रालय, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि ये सेवाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फीफा यू-17 विश्व कप 2017 की किसी घटना से संबंधित है।;**

(ख) क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11क	**शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962**	**किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गेहूं, चावल और मोटे अनाज की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की जाने वाली सेवा।**	**शून्य**	**शून्य**
11ख	**शीर्ष 9961 या शीर्ष 9962**	**किसी कमीशन या मार्जिन के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से उचित मूल्य दर वाली दुकानों के द्वारा राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाने वाली सेवा।**	**शून्य**	**शून्य";**

(ग) क्रम सं. 35 के समक्ष, कॉलम (3) में,-

(क) मद (ज) में, मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम या उपांतरित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम" शब्दों के स्थान पर "पुनर्सरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूसीआईएस)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ञ) में, "राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना)" शब्दों के स्थान पर "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)", शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्य को अंत: स्थापित किया जाएगा:-

"(iii) लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 (2009 का 6) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित और पंजीकृत "लिमिटेड लिएबिलिटी पार्टनरशिप" को एक पार्टनरशिप फर्म या फर्म माना जाएगा।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध/10/2017—3098)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

---

22 अगस्त 2017

एस०ओ०—134, एस०ओ०—133, दिनांक 22 अगस्त 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध/10/2017—3098)]
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 22nd August 2017

Notification No. 21/2017-State Tax (Rate)

S.O. 133, dated 22nd August 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification No.12/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 of the Commercial Taxes Department, namely:-

Amendments

In the said notification,-

(i) in the Table,-

(a) after serial number 9 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9A	Chapter 99	Services provided by and to Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the eventsunder FIFA U-17 World Cup 2017 to be hosted in India.	Nil	Provided that Director (Sports), Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly or indirectly related to any of the events under FIFA U-17 World Cup 2017.";

(b) after serial number11 and the entries relating thereto, the following shall be inserted namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"11A	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shopsto State Government by way of sale of wheat, rice and coarse grains under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil
11B	Heading 9961 or Heading 9962	Service provided by Fair Price Shopsto State Governments or Union territories by way of sale of kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System(PDS) against consideration in the form of commission or margin.	Nil	Nil";

(c) against serial number 35, in column (3),-

(A) in item (h), for the words "Weather Based Crop Insurance Scheme or the Modified National Agricultural Insurance Scheme", the words, brackets and letters "Restructured Weather Based Crop Insurance Scheme (RWCIS)", shall be substituted;

(B) in item (j), for the words "National Agricultural Insurance Scheme (Rashtriya Krishi Bima Yojana)", the words, brackets and letters "Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)", shall be substituted;

(ii) in paragraph 3,in the Explanation, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) A "Limited Liability Partnership" formed and registered under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) shall also be considered as a partnership firm or a firm.".

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd of August, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-10/2017-3098)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)729-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in